



189

28.10/09
01/51

उपस्थित
माननीय राजस्व मण्डल, कैम्प सागर मध्यप्रदेश

निगमनी - 892 - II / 09

भगवत प्रसाद तनय किलकोटा यादव,
निवासी मुराछ तहसील व जिला पन्ना म.प्र. प्रतिनिगरानीकर्ता

-: बनाम :-

- 1- पुन्नू तनय सूखी लाल गौड़,
- 2- विजय तनय सूखी लाल गौड़

दोनों निवासी ग्राम देवरी तहसील व जिला पन्ना म.प्र.

प्रतिनिगरानीकर्ता
गण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

निगरानी कर्ता न्यायालय कमिश्नर, सागर संभाग सागर
मध्यप्रदेश के प्रकरण क्रमांक 53/अ/6/अ/बख 2006-07 आदेश दिनांक
13-04-2009 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 50 के
अन्तर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष विधि एवं तथ्यों पर आश्रित
निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1- यहकि, संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय
कलेक्टर महोदय के पन्ना के न्यायालय ने संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत
प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा एक अपील सहायक बन्दोबस्त अधिकारी पन्ना
के राजस्व प्रकरण क्रमांक 34/अ/6/बर्ध 91-92 में पारित आदेश दिनांक
23/7/92 के विरुद्ध करीब 13 बर्ध के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी थी
प्रति निगरानीकर्ता द्वारा विलम्ब माफी का आवेदन प्रस्तुत किया गय
था जिसका जबाब निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत करते हुये यह स्पष्ट
किया गया था कि प्रति निगरानीकर्ता की अपील अत्याधिक विलम्ब
से है, तथा विलम्ब माफी का आवेदन बनावटी है जबकि निगरानीकर्ता
को विवादित आदेश दिनांक 23/7/92 की जानकारी आदेश दिनांक
से हुई थी क्योंकि तहसीलदार महोदय पन्ना के न्यायालय के राजस्व
प्रकरण क्रमांक 2-अ/26 बर्ध 1999-2000 में दिनांक 6-6-2000 को
प्रतिअपीलार्थी अपने अधिवक्ता श्री ओ.पी. शिवशर्मा के साथ उपस्थित

B.O.R.

6 JUL 2009

90 1040 मिश्र 1030
मि/01K
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग,
सागर (म.प्र.)

क्रमांक 1565
रजि. नं. 13-7-09 को प्राप्त
वर्क ऑफिस

Handwritten signature

